HARYANA GOVERNMENT
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION

Chandigarh, dated 5-2-16

No. 5934-Agri-II (1)-2015/1476 -.The Governor of Haryana is pleased to constitute the Committee District National E-Governance Plan- Agriculture Implementation Team in the State with the following composition:-

1.	Deputy Commissioner	Chairman
2.	District Horticulture Officer	Member
3.	Deputy Director Animal Husbandry & Dairying	Member
4.	District Fisheries Officer	Member
5.	Three Representatives from Block level offices by rotation	Member
6.	Representative from IMD (India Meteorological Department)	Member
7.	Representatives from PeMT and State IT Department	Member
8.	District Informatics Officer, NIC	Member
9.	Programme Coordinator, KVK (Krishi Vigyan Kender)	Member
10.	Deputy Director Agriculture	Member Secretary

Roles and Responsibilities of District NeGP-A Implementation Team (DNAIT)

1. Liaisoning with State Empowered Committee and the State PMU for regular monitoring of project and also to escalate to State Empowered Committee, issues, if any.
2. DNAIT will meet at least once in two months. It may be desirable to converge meeting of DNAIT with that of ATMA Governing Board. However, the Deputy Director Agriculture will continue to review the progress more frequently along with other officers and agencies.
3. The DNAIT would implement the project and ensure close linkages and coordination amongst various stakeholders in the Project at field level and provide commitment & support to bring-in the process changes.
4. Provide overall guidance to the Project Partners at District level.
5. Work closely with the System Integrator and Implementing Agency (i.e NIC) to undertake the field work, comprehend the requirements and document the observations.
6. Build capacity of the staff at various offices of the district and lower levels. DNAIT and System Integrator (Implementing Agency) would also work closely with the Software Development Agency (i.e. NIC).
7. Manage, supervise and implement backend computerization of partner Departments/ Agencies.
8. Ensure that every site is prepared as per the scheme norms.
9. The DNAIT as owner of the Project at district level will be responsible for proper record keeping of all the assets created under the project at the District level.
10. Support the rolling out of G2C Services of NeGP-A through Common Services Centres (CSCs) or any other designated agencies.
11. Create awareness about transformation through e-Governance for the benefit of the farmers.

12. The Team shall also ensure close tie-ups with all the stakeholders in the project, to provide commitment and support, help to bring-in the process changes and overall guidance to the project.

VARINDER SINGH KUNDU,
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

Endst. No. 5934-Agri-II (1)-2015/ 1477 Chandigarh Dated 5-2-16

A copy is forwarded to Controller Printing and Stationary, Haryana. He is requested to publish the above notification in the Gazette (extra ordinary) of Haryana.

Under Secretary,
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

Endst. No. 5934-Agri-II (1)-2015/ 1478 Chandigarh Dated 5-2-16

A copy is forwarded to the Secretary Agriculture, Govt. of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi for information.

Under Secretary,
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

Endst. No. 5934-Agri-II (1)-2015/ 1479 Chandigarh Dated 5-2-16

A copy is forwarded to the Director Agriculture, Haryana, Panchkula for information and necessary action. He is requested that copies of this notification may please be send to concerned quarters at his own level.

Under Secretary,
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

(10)

हरियाणा सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

चण्डीगढ दिनांक 05-02-16

क्रमांक 5934–कृषि–II (1)–2015/1476 हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित संरचना के साथ राज्य में जिला राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि कियान्वयन दल का सहर्ष गठन करते है;–

1.	जिला उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	जिला बागवानी अधिकारी	सदस्य
3.	उप निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी	सदस्य
4.	जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
5.	बारी–बारी से ब्लॉक स्तर के कार्यालयों से 3 प्रतिनिधि।	सदस्य
6.	आई0 एम0 डी0 विभाग से प्रतिनिधि।	सदस्य
7.	पी0ई0एम0टी0 और राज्य के आई0 टी0 विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जिला सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0	सदस्य
9.	कार्यकम समन्वयक, के0वी0के0 (कृषि विज्ञान केन्द्र)	सदस्य
10.	उप कृषि निदेशक	सदस्य सचिव

<u>जिला राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि दल की भूमिकाएं एंवम जिम्मेदारीयां</u>

1. परियोजना की नियमित निगरानी करना, राज्य अधिकार प्राप्त समिति तथा राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई के बीच में तालमेल स्थापित करना और यदि कोई मुद्दे हो तो उन्हें राज्य अधिकार प्राप्त समिति को अवगत करवाना।
2. जिला राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि दल की दो माह में कम से कम एक बार मीटींग करना । वांछनीय होगा यदि कृषि प्रोद्यौगिकी प्रबंन्धन अभिकरण (ए0टी0एम0ए0) शासी बोर्ड की मीटिंग के साथ एकीकरण हो। यद्यपि, उप कृषि निदेशक, अन्य अधिकारी और एजेंसी के साथ राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि की प्रगति का बार–बार अवलोकन करते रहना।
3. जिला राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि दल राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि योजना का कियान्वयन करना तथा क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना में शामिल भिन्न–भिन्न हितधारकों के बीच निकट सम्पर्क व समन्वय स्थापित करना और प्रकिया परिवर्तन के लिए सहायता व प्रतिबद्धता प्रदान करना।
4. जिला स्तर पर परियोजना भागीदारों के लिए सामग्र मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. सिस्टम इनटीग्रेटर और कियान्वयन एजेंसी के साथ मिलकर क्षेत्र में कार्य करना, क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा उपेक्षाओं को समझना तथा अवलोकनों का दस्तावेज़ बनाना।
6. जिला और निचले स्तर के विभिन्न कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना। जिला राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि दल और कियान्वयन अभिकरण को सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी (एन0आई0सी0) के साथ नज़दीकी से कार्य करना होगा।
7. निगरानी, प्रबन्धन ओर साथी विभागों/एजेंसियों में बैक्एन्ड कम्पयूटरीकरण सुनिश्चित करना।
8. योजना के मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक साइट का बनना सुनिश्चित करना।
9. जिला स्तर पर परियोजना के मालिक के रूप में जिला राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि दल जिला स्तर पर परियोजना के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

10. राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कृषि की G2C सेवाओं को सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) या किसी अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से शुरू करने में सहारा देना।

11. किसानों के लाभ के लिए ई–गवरनेंस के माध्यम से परिवर्तन के बारे में जागरूकता लाना।

12. ये दल, प्रतिबद्धता और सहायता प्रदान करने के लिए इस परियोजना के लिए प्रकिया में परिवर्तन ओर सामग्र मार्गदर्शन में मदद के लिए, इस परियोजनां में सभी हितधारकों के साथ नज़दीकी तालमेल सुनिश्चित करेगा।

वरिन्द्र सिंह कुण्डु
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

पृष्ठांकन कमांक: 5934–कृषि–II (1)–2015/1477 चण्डीगढ़ दिनांक: 05-02-16

एक प्रतिलिपि नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हरियाणा को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित है।

अवर सचिव,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांक: 5934–कृषि–II (1)–2015/1478 चण्डीगढ़ दिनांक: 05-02-16

एक प्रतिलिपि सचिव कृषि, भारत सरकार, कृषि एवम किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवम किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को जानकारी के लिए प्रेषित है।

अवर सचिव,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांक: 5934–कृषि–II (1)–2015/1479 चण्डीगढ़ दिनांक: 05-02-16

एक प्रतिलिपि निदेशक कृषि हरियाणा, पंचकुला को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपियां वे अपने निजी स्तर पर सम्बन्धित विभागों को भिजवाने का कष्ट करें।

अवर सचिव,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, हरियाणा।